न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 07/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2023/32)   व इजलासः– डॉ.रवि कुमार गोयल

(R.A.S)

उनवान

लज्जावती पुत्री वनखण्डी जाति जाटव नि0 ग्राम बद्रीपुर तहसील डीग(डीग)

–प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय   दिनांकः 10.01.2024

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट**, इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1305/0.23 वाके ग्राम नगला कोकिला तहसील डीग में स्थित है को हाल बन्दोवस्त में गत खसरा नम्बर 3057/1060 रकबा 10विस्वा 3067/1071 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा वाके ग्राम मालपुर तहसील डीग के बदले बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1305/0.23 पूर्व में प्रार्थिया के दादा मुकन्दी पुत्र गंगावासी जाति जाटव निवासी ग्राम बद्रीपुर की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी का हिस्सा 1/2 प्रार्थिया के पिता वनखण्डी पुत्र मुकन्दी तथा शेष हिस्सा 1/2 पूरन पुत्र मुकन्दी के नाम बतौर वारिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। प्रार्थिया के पिता बनखण्डी पुत्र मुकन्दी की मृत्यु हो चुकी है और उसके हिस्सा 1/2की आराजी पर प्रार्थिया एक मात्र वारिस के तौर पर काबिज है। प्रार्थिया के दादा ग्राम बद्रीपुर तहसील डीग में निवास करते थे। इसी अनुसार प्रार्थिया के पिता बनखण्डी भी ग्राम बद्रीपुर तहसील डीग में स्थाई रूप से निवास करते रहे। उक्त आराजी के गत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के दादा मुकन्दी पुत्र गंगावासी को सही तरीके से ग्राम बद्रीपुर का निवासी दर्ज किया हुआ है,लेकिन बन्दोवस्त विभाग द्वारा उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर बनाते समय गलत तरीके से प्रार्थिया के पिता को निवासी ग्राम बद्रीपुर के स्थान पर निवासी ग्राम नगला कोकला दर्ज कर दिया तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में साकिन ग्राम नगला कोकला दर्ज किया जा रहा है। जबकि प्रार्थिया का पिता शुरू से ही ग्राम बद्रीपुर का मूल निवासी रहा है और अन्य राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजात में भी ग्राम बद्रीपुर का मूल निवासी होना दर्ज किया गया है। इस लिए नवीन खसरा नम्बर 1305/0.23, स्थित ग्राम नगला कोकला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पिता बनखण्डी पुत्र मुकन्दी साकिन ग्राम बद्रीपुर दुरूस्त किये जाने की आज्ञा फरमायें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2023/735 दिनांक 14.03.2023 तथा पत्रांकःएलआर/24/70 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में अंकित है कि "वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 215 पर खसरा संख्या 1305 पूरन पुत्र मुकन्दी तथा बनखण्डी पुत्र मुकन्दी के नाम दर्ज रिकार्ड है। बन्दोवरत से पूर्व की जमाबन्दी ग्राम मालपुर सम्बत 2023–26 की खाता संख्या 228 के खसरा नम्वर 3057/1060 व 3067/1071 जिनसे कि नवीन खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.23 हैक्टे0 बना है। जिस पर मुकन्दी पुत्र गंगावासी कॉम चमार निवासी बद्रीपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बन्दोवस्त के दौरान मिसल बन्दोवस्त में उक्त खसरा नम्बर पर बनखण्डी पूरन पि0 मुकन्दी हि0 बरावर कॉम चमार सा0मालपुर दर्ज हो गया। उसके बाद ग्राम मालपुर से नगला कोकला बना,तव उक्त खसरा नम्बर नगला कोकला में दर्ज हो गया। जिसमें निवासी नगला कोकला दर्ज हो गया। जमाबन्दी सम्बत 2023–2026 के खाता संख्या 228 के आधार पर बनखण्डी पूरन पिस. मुकन्दी को ग्राम बद्रीपुर का निवासी दर्ज किया जाना उचित होगा।"

वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर

Ravi

नवीन खसरा नम्बर 1305/0.23 वाके ग्राम नगला कोकला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता बनखण्डी पुत्र मुकन्दी को साकिन ग्राम बद्रीपुर किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 215 पर खसरा संख्या 1305 पूरन पुत्र मुकन्दी तथा बनखण्डी पुत्र मुकन्दी के नाम दर्ज रिकार्ड है। बन्दोवस्त से पूर्व की जमाबन्दी ग्राम मालपुर सम्वत 2023–26 की खाता संख्या 228 के खसरा नम्बर 3057/1060 व 3067/1071 जिनसे कि नवीन खसरा नम्बर 1305 रकवा 0.23 हैक्टे0 बना है। जिस पर मुकन्दी पुत्र गंगावासी कॉम चमार निवासी बद्रीपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बन्दोवस्त के दौरान मिसल बन्दोवस्त में उक्त खसरा नम्बर पर बनखण्डी पूरन पि0 मुकन्दी हि0 बरावर कॉम चमार सा0मालपुर दर्ज हो गया। उसके बाद ग्राम मालपुर से नगला कोकला वना,तव उक्त खसरा नम्बर नगला कोकला में दर्ज हो गया। जिसमें निवासी नगला कोकला दर्ज हो गया। जमाबन्दी सम्बत 2023–2026 के खाता संख्या 228 के आधार पर हम बनखण्डी, पूरन पिस. मुकन्दी को ग्राम नगला कोकला के स्थान पर ग्राम बद्रीपुर तहसील डीग का निवासी दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थीया लज्जावती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। जमाबन्दी सम्बत 2023–2026 के खाता संख्या 228 के आधार पर नवीन खसरा नम्बर 1305/0.23 स्थित ग्राम नगला कोकला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया लज्जावती के पिता बनखण्डी पुत्र मुकन्दी को ग्राम नगला कोकला के स्थान पर ग्राम बद्रीपुर तहसील डीग का निवासी दर्ज किया जाना दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग